

योजना का नाम

छाता सहायता

लाभ

धूप तथा बारिश से
बचाव हेतु छाता
उपलब्ध कराया जाता
है।

पात्रता/लाभार्थी

|

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
बोर्ड में पंजीकृत निर्माण
श्रमिक

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत छाता, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।